

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -23/2021-22

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

हीरालाल आईन्द बनाम पार्वती देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

हीरालाल आईन्द पिता-स्व० मोतीलाल आईन्द,
ग्राम-कुबासाल, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़,
जिला-राँची, जाति-बागती (पिछड़ वर्ग) पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

पार्वती देवी पति-सोमा हजाम, ग्राम-कुबासाल,
पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची,
जाति-हजाम, पेशा-गृहीणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री शिव शंकर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15/06/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता पार्वती देवी पति-सोमा हजाम, ग्राम-कुबासाल, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-गृहीणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कुबासाल	तमाड़/181	127	1003	13½ डी० चौहद्दी:- उ०-विक्रेता नीज। द०-कामेश्वर बागती। पू०-क्रेता नीज। प०-नहर।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

८

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक-410(ii) दिनांक-02/08/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत रोशो हजाम वल्द हीरा लाल हजाम कौम हजाम साकिन देह के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता पंजी II रैयत के पुत्र है।

(3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम मो० सोरीबाला पति-मोती लाल बागती है। तथा रैयत के पास रकबा-0.36 एकड़ खरिदगी भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2002-03 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है। तथा दा०खा० वाद सं० 24R27/1996-97 के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी (दर्जा-बाड़ी) किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-22½ खरिदगी भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला अन्तर्गत निवास कर रहे है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता हीरालाल आईन्द पिता-स्व० मोतीलाल आईन्द, ग्राम-कुबासाल, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-बागती (पिछड़ वर्ग) पेशा-खेती, को क्रेता पार्वती देवी पति-सोमा हजाम, ग्राम-कुबासाल, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-गृहीणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-16/06/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता हीरालाल आईन्द पिता-स्व० मोतीलाल आईन्द, ग्राम-कुबासाल, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-बागती (पिछड़ वर्ग) पेशा-खेती, को क्रेता पार्वती देवी पति-सोमा हजाम, ग्राम-कुबासाल, पो०-विजयगिरी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, जाति-हजाम, पेशा-गृहीणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक,


बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कुबासाल	तमाड़/181	127	1003	13½ डी० चौहद्दी:- उ०-विक्रेता नीज। द०-कामेश्वर बागती। पू०-क्रेता नीज। प०-नहर।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।